Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

ADVERTISEMENT NO. 5/2021 , Date -23 /12/2021

Application are invited for appointment of **Assistant Professor** in the university. Details about number of posts and reservation category are as under :

Commerce – [Unreserved (UR) – 1], **Education –** [Scheduled Tribes (ST) – 1], **English –** [Other Backward Class (OBC) – 1]

Pay Scale : 15600-39100, AGP – 6000/-, **Qualification :** As per UGC/NCTE norms.

General Condition :

(1) Eligibility Date: Last date for Form fill up (Online) 25.01.2022 till midnight 12:00, Last date for Form submission (hard copy) by post 31.01.2022 in office hours. (2) The application should be submitted in three copies. Details of qualifications, experience, Application Format and other details are available on our website – **www.pssou.ac.in** (3) Application fee : Rs. 1000/- (for ST/SC – Rs. 500/-) only through challan. No other mode of the payment will be accepted. (4) The University reserves the right to fill up or not to fill up the posts.

Note :

(1) Candidates in all category may apply for UR post. (2) Women and disabled persons will also be given reservation as per reservation rules. (3) Candidates belonging to SC, ST and OBC of other state will be treated as Unreserved.

By Order

Registrar

सीधी भर्ती से पदों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता, सामान्य शर्तें एवं अन्य जानकारी

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ – सहायक प्राध्यापक पद हेतु :–

1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ संबंधित विषय में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि।
2. उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को U.G.C., C.S.I.R. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) अथवा U.G.C. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा SLET/SET उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (M.Phil/Ph.D. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय–समय पर इन्में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार Ph.D. की उपाधि प्रदान की गई हो :

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व Ph.D. की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे Ph.D. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए NET/SLET/SET की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :–

(क) अभ्यर्थी को Ph.D की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) Ph.D शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) Ph.D के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने Ph.D कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफरीड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ) अभ्यर्थी ने UGC/ICSSR/CSIR अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/सहायता प्राप्त सम्मेलनों/विचार गोष्ठियों में अपने Ph.D कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

सामान्य नियम एवं शर्तें –

1. विज्ञापित पदों में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण छ.ग. लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार रोस्टर बिन्दु के अनुसार पद विज्ञापित किये जा रहे है।
2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/निगम/मंडल/विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. शासन द्वारा निर्धारित कम आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
4. इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप के कारण सेवा समाप्त की गई है, वे किसी भी पद के लिये अर्ह नहीं होंगे।
5. आवेदन विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.pssou.ac.in पर ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा तदुपरांत भरे हुए आवेदन को प्रिंट कर संलग्नकों सहित स्वहस्ताक्षरित कर 03 (तीन प्रतियों में) निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **कुलसचिव, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर कोनी, बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)** के पते पर प्रेषित करना होगा। किसी भी कारण से निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे। निरस्त आवेदन पत्रों के लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
7. एक बार आवेदन जमा किये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. नवनियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं होगी (नवीन अंशदायी पेंशन की पात्रता होगी)।
9. इस विज्ञप्ति में उल्लेखित पदों तथा शर्तो के निर्वचन का तथा किसी भी समय नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया को स्थगित करने, निरस्त करने एवं अन्य शर्ते विहित करने तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का होगा, जो पूर्णतः बन्धनकारी होगा।

कुलसचिव